



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 1868 / 36सी
सेवा में,

दिनांक 20/11/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड़ में फारकोट से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.61 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक 1032/12-1 देहरादून दिनांक सितम्बर 23/2024 महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण हेतु इस खण्ड को वापस लौटाया गया था।

अतः निम्नलिखित आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार निम्नत है।

क्रम सं०	प्रस्ताव में कमिया	निराकरण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	हाँ
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	हाँ
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	हाँ
4	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	हाँ
5	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	हाँ
6	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
7	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	हाँ
8	डिजिटल मैप व सीडी में प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया।	हाँ
9	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	हाँ
10	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	हाँ
11	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	हाँ
12	वैकल्पिक समरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने	हाँ



	का कारण का तुलनात्मक विवरण।	
13	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र।	पूर्व से प्रयोक्ता ऐजन्सी एवं वन विभाग के हस्ताक्षर है।
14	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	हाँ
15	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	हाँ
16	बार चार्ट।	हाँ
17	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र।	हाँ
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण।	हाँ
19	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	हाँ
20	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	हाँ
21	बॉज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण पत्र।	हाँ
22	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	संलग्न कर दिया गया है।
23	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र।	हाँ
24	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण पत्र।	पूर्व में ही संलग्न है।
25	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।	लागू नहीं
26	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	लागू नहीं
27	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र।	हाँ
28	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक सामाजिक एवं पारिस्थितिकीय सतुलन का आंकलन।(5.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)।	लागू नहीं है।
29	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।	हाँ
30	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण (केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिए)।	लागू नहीं है।
31	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	लागू नहीं है।
32	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	हाँ
33	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।	हाँ

34	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाण पत्र।	हाँ
35	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र।	हाँ
36	प्रस्तावित स्थल/धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण पत्र।	हाँ
37	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र।	हाँ
38	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र।	हाँ
39	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	हाँ
40	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं है।
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना का प्राक्कलन मानचित्र।	हाँ
42	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	हाँ
43	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	हाँ
44	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	हाँ
45	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण /पर्ण वृक्षारोपण/चरा गुना/चीनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन मानचित्र उपयुक्ता प्रमाण पत्र।	हाँ
46	प्रस्तावित मार्ग हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होगा का प्रमाण पत्र।	हाँ
47	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुए अनुबंध।	हाँ
48	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	हाँ
49	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0बी0 की धनराशि का आंकलन।	हाँ
50	एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र।	हाँ
51	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	हाँ

52	लीज अवधि का प्रमाण पत्र(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)।	लागू नहीं है।
53	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	हाँ
54	जल विधुत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।	लागू नहीं है।
55	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणी स्वीकृति (यदि लागू हो)	लागू नहीं

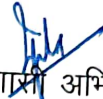
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंचालय नई दिल्ली के पत्र सं०-FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है-

	In respect of liner project, the stipulated norms of 2% and 0.5% toward the cost of Wildlife Management Plan and soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guidelines dated 08-06-2022, will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.	वन विभाग के स्तर से होनी है।
	The provision of wildlife management plan or soil moisture conservation plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly, the definite amount, if any, from the money already realized from the extent of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.	वन विभाग के स्तर से होनी है।
56	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	हाँ
उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक (HOF) उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मलवा निस्तारण स्थल के सम्बन्ध में प्रकरण पर निम्नलिखित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-		
57	मलवा निस्तारण हेतु प्रभावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।	हाँ
58	मलवा निस्तारण हेतु प्रभावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया	प्रमाण पत्र संलग्न है।

	जा सके।	
59	डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
60	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधारोपण करने में सुविधा हो।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
61	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्ज इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसीत जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाये।	कार्यवाही वन विभाग से होनी है।
62	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीको को Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते है और पौधों को तेजगति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते है।	कार्यवाही वन विभाग से होनी है।
63	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
64	वैकल्पिक/औचित्य प्रयोक्ता एजेन्सी मलवा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट(के0एम0एल0 फाइल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डंपिंग जोन के लिए उचित औचित्य/टिप्पणियाँ देगी)।	मलवा निपटान के लिए चयनित स्थल में ही मलवा डम्पिंग किया जायेगा।
65	प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
66	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Report Form-A Part-II के अतिरिक्त सूचना मे अपलोड की जानी अपेक्षित है।	हाँ
67	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी प्रस्ताव में अपलोड की जानी अपेक्षित है।	हाँ
68	प्रस्ताव में संलग्न फैक्ट शीट रिक्त संलग्न की गयी है, उक्त प्रमाण प्रपत्र में सूचना अंकित की जाय।	हाँ
69	प्रस्ताव पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया	प्रमाण पत्र संलग्न है।

	जाये कि प्रस्तावक विभाग पूर्व में स्वीकृत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित कोई वित्तीय देनदारी नहीं है।	
70	प्रस्ताव की हार्ड प्रति में पृष्ठ सं० अंकित किये जाने अपेक्षित है।	पृष्ठ सं० सही कर दी गयी है।

७/८


अधिशायी अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
थराली चमोली

पत्रांक 1460/36 सी०

दिनांकित १० / ११ / २०२१

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता ७वाँ वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता नि०ख०, लो०नि०वि० थराली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- खण्डीय अमीन/कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

७/८


अधिशायी अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
थराली चमोली।